

13/09/2025

नेशनल लोक अदालत

माननीय रजिस्ट्री का ज्ञापन क्रमांक 19343/(चेकर) तीन-6-3/2000, बिलासपुर दिनांक 29/11/2024 एवं निदेशक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक L/34/2018-NALSA दिनांक 14/11/2024 के परिपेक्ष्य में लघु अपराधों/लघु विषयों (Petty Offences/Petty Matters) से संबंधित प्रकरणों का तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-321 के आवेदन पत्रों एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रकरणों का विधिवत् निराकरण **राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13-09-2025** को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष बैठक (Special Sitting) के रूप में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के विविध पृष्ठांकन क्रमांक क्यू/एक-7-2/2000, बिलासपुर, दिनांक 11/09/2025, आदेशानुसार आज दिनांक 13/09/2025 को नेशनल लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, के रूप में विशेष बैठक के रूप में आयोजित की जाकर इस न्यायालय को **खण्डपीठ क्र 0 -22** बनाया गया है।

परिवादी द्वारा अधिवक्ता **श्री दीपक मिश्रा** उपस्थित।

आरोपी/गण द्वारा अधिवक्ता **श्री हरीश मिश्रा** उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत हैं।

इसी स्तर पर परिवादी द्वारा प्रकरण में समझौता होने से व मूल चेक की राशि उसे प्राप्त होने से प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

परिवादी के निवेदन पर प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में खारिज किया जाता है।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

अभिलेख व्यवस्थित कर नियत अवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/-

(श्रीमती सविता सिंह ठाकुर)

पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ,

नेशनल लोक अदालत **खण्डपीठ क्र 0 22**

बिलासपुर (छ 0 ग 0)

सदस्य:-

01. श्री श्रीकांत गोपी

--सही/---

02. श्री बृजेश कुमार गुप्ता

--सही/--